दिनांक 17.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 22/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मोहनलालगंज

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 16.12.2024 को थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निगोहा स्टेशन के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजकुमार उर्फ लालचन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मोहनलालगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजकुमार उर्फ लालचन्द्र निवासी चोरहापुर खरगापुर थाना नगराम कमिश्नरेट लखनऊ।

जनपद रायबरेली/थाना गुरूबक्शगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 12 हजार 500 रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **सोने के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.12.2024 को थाना गुरूबक्शगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दाउदपुर रामनगर मोड़ के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई

तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रामबहादुर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से सोने के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद रायबरेली, औरैया के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 38 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना डलमऊ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 12 हजार 500 रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गुरूबक्शगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामबहादुर निवासी भवानीखेड़ा, पश्चिम गांव थाना बछरावां जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1–सोने के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद रामपुर/थाना पटवाई

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 17.12.2024 को थाना पटवाई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जौलपुर रोड पर गन्दे नाले के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने

पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मो0 अजीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पटवाई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 अजीम निवासी ग्राम नगलिया आकिल थाना अजीमनगर जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद श्रावस्ती/थाना हरदत्तनगर गिरंट

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **02 हजार 970 रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.12.2024 को थाना हरदत्तनगर गिरंट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवरा नहर पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–भोला उर्फ फिरोज 2–सैलून अली उर्फ मूसे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 02 हजार 970 रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27/28.10.2024 को थाना हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरदत्तनगर गिरंट पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त भोला उर्फ फिरोज के विरूद्ध जनपद बहराइच, पीलीभीत, गोण्डा, बस्ती, श्रावस्ती के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हरदत्तनगर गिरंट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भोला उर्फ फिरोज निवासी ग्राम बड़ेहरा थाना नवाबगंज जनपद बहराइच।

2–सैलून अली उर्फ मूसे निवासी ग्राम मासूपर थाना नानपारा जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–02 हजार 970 रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 16/17.12.2024 की रात्रि थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मंदवाड़ा रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ

कार्यवाही में अभियुक्त संजय घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 33 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय निवासी ग्राम मेहरमती गणेशपुर थाना सरधना जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मेरठ/थाना ब्रह्मपुरी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 16.12.2024 को थाना ब्रह्मपुरी व एण्डी व्हीकल थैफ्ट टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त 1–वसीम 2–शौकीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर अभियुक्त 3–अय्युब 4–इकराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना ब्रह्मपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वसीम निवासी धोलडी रसूलपुर थाना जानी जनपद मेरठ।

2—शौकीन निवासी खुशहाल कॉलोनी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

3—अय्युब निवासी अमन कॉलोनी नई बस्ती थाना सरधना जनपद मेरठ।

4—इकराम निवासी इस्लामाबाद तकिए वाली मस्जिद के पास थाना सरधना जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—चोरी की 09 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना बेहट

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 92 किलो 170 ग्राम अवैध ताँबा**
- **08 हजार 650 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 17.12.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर साई धाम मन्दिर के पास से अभियुक्त 1—असलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर अभियुक्त 2—सनी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 92 किलो 170 ग्राम अवैध ताँबा, 08 हजार 650 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त असलम शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बेहट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—असलम निवासी लंढौरा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

2—सनी निवासी अहमदबाग थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 92 किलो 170 ग्राम अवैध ताँबा।

2—08 हजार 650 रूपये नगद।

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 298 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 हैरियर कार आदि बरामद**

दिनांक 16/17.12.2024 को थाना हरीपर्वत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईएसबीटी बस स्टैण्ड के पास से अभियुक्त विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 298 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 हैरियर कार आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विजय निवासी छिडाना थाना मुडलाना जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 298 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब।

2— नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 01 हैरियर कार आदि।

- **<u>जनपद एटा/थाना सकीट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 62–62 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना सकीट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/149/302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–दिनेश उर्फ गुड्डा 2–अशोक उर्फ खेमका 3–विनोद 4–राजपाल उर्फ राजू 5–रामदास उर्फ पप्पू को आजीवन कारावास व 62–62 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना कोतवाली शहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अखिलेश उर्फ छोटे को सश्रम आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना नवाबगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त लालू उर्फ देवेन्द्र को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना दुबौलिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना दुबौलिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेश को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–विद्युत स्टेशन/सब स्टेशनों से हाईटेन्शन तार काटकर चोरी करने के 24 अभियोगों में वांछित जनपद बुलन्दशहर से रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी शिवम गिरफ्तार।

दिनांक 17–12–2024 को एस0टीएफ0, उत्तर प्रदेश को लगभग 24 अभियोगों में वांछित चल रहे विद्युत स्टेशन/सब स्टेशनों से हाईटेन्शन तार काट कर चोरी करने के अपराध में फरार तथा जनपद बुलन्दशहर से रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित अपराधी शिवम को थाना खानपुर, बुलन्दशहर पुलिस के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

शिवम पुत्र खडक सिंह निवासी ग्राम पारपा, थाना कपूरपुर, जनपद हापुड।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 17–12–2024 समय 01.30 बजे, बिनावर चौकी जाडौल, थाना खानपुर, बुलन्दशहर क्षेत्र ।

विगत काफी दिनो से एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के निदेशन तथा श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 नोएडा की गठित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 16–12–2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर के अभियोग में वांछित रू0 25,000/– का ईनामी अपराधी शिवम, औरंगाबाद से जहॉगीराबाद की ओर जाने की फिराक में है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर की पुलिस को साथ लेकर गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त शिवम उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 26 साल है और वह कक्षा 09 पास है। वर्ष 2018 में वह एक नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना जनपद हापुड पर मु0अ0स0 144/18 धारा 342/363/368 भादवि एवं 9/10 पॉस्को एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था और इस अभियोग में वह (शिवम) लगभग 5–6

महीना जेल में रहा था। जमानत पर छूटने के उपरान्त अभियुक्त शिवम ने अपने चचेरे भाई दीपक पुत्र सुन्दर के साथ मिलकर अपना एक गिरोह बनाकर विद्युत विभाग के तारों के बंडलों को चोरी करके दिल्ली में अपने गैंग के रोहित के माध्यम से कबाडियों को बेचने का काम शुरू कर दिया था। अभियुक्त शिवम काफी दिनों से जनपद अलीगढ के ग्राम अकराबाद के रहने वाले रोहित पुत्र रामपाल के संपर्क में था, जो गैंग बनाकर विद्युत स्टेशन/सब स्टेशनों पर लगे हाईटेन्शन इलेक्ट्रिक तारों को काटकर तथा वहॉ स्टोर में पडे हुए तारों को चोरी करने का काम काफी समय से कर रहा था। इसके पश्चात अभियुक्त शिवम एवं दीपक द्वारा अपने गैंग के साथ मिलकर विगत 03 वर्षो में तार चोरी की ताबडतोड घटनाओ को अंजाम देता रहा।

अभियुक्त शिवम ने अपने गैंग के रोहित व दीपक के साथ मिलकर जनपद हापुड से खरखोदा वाली सडक पर जनवरी 2022 के आसपास सडक पर एवं खेत पर, एल0टी0 लाइन के तार बिछ रहे थे, जिनको दो बार में तारों को गाडियों में भरकर चोरी करके ले जाया गया था इसके पश्चात रोहित ने तार को दिल्ली में लगभग 1.50 लाख रूपये में किसी को बेच दिया था। इसके अलावा अभियुक्त शिवम ने अपने गैंग के साथ मिलकर जनपद हापुड में भटयाला वाला रोड, चितौंली ग्राम के पास, जहॉ विद्युत तार बिछ रहे थे, से भी तार चोरी करके काट लिये थे और इन तारों को भी रोहित के माध्यम से दिल्ली में बेचा गया था। इसके बाद शिवम ने अपने गैंग के साथ मिलकर माह फरवरी–मार्च, 2022 के आसपास जनपद बुलन्दशहर के थाना गुलावठी क्षेत्र के बराल से 13–14 बंडल तार चोरी करके ले जाया गया था। इसके अलावा इस गैग के द्वारा जनपद अलीगढ के ग्राम अकराबाद से तार चोरी की 04 घटनाएं की गयीं तथा खुर्जा के आसपास की फैक्टरी से भी तार चोरी की घटनायें कारित की गयी थीं। अभियुक्त शिवम ने यह भी बताया कि रोहित की जनपद अलीगढ में कबाडी की दुकान है और तार बेचने का काम रोहित ही करता था। एस0टी0एफ नोएडा गौतमबुद्वनगर द्वारा दिनांक 26–11–2023 को इस गैंग के अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जो वर्तमान में जनपद बुलन्दशहर की जेल में बन्द है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शिवम, मु0अ0सं0 316/22 धारा 136 विद्युत अधि0 एवं मु0अ0सं0 12/23 धारा 136/137 विद्युत अधि0 के अभियोग सहित 24 अभियोगों में वांछित चल रहा था। (जो अभी तक पकड़ा नही गया था) इसके गिरफ्तारी हेतु पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 24–11–2023 को रू0 25,000/– का पुरस्कार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त शिवम की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम उपरोक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है:–

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	144/18	342/363/368 भादवि एवं 9/10 पॉस्को एक्ट	धौलाना	हापुड
2	470/18	174ए भादवि	धौलाना	हापुड
3	102/22	136 विद्युत अधि0	कपूरपुर	हापुड
4	316/22	136 विद्युत अधि0	खानपुर	बुलन्दशहर
5	469/22	136, 137 विद्युत अधि0	छतारी	बुलन्दशहर
6	458/22	136/137 विद्युत अधि0 एवं 411 भादवि	अनूपशहर	बुलन्दशहर
7	582/22	136 विद्युत अधि0	कोतवादी देहात	बुलन्दशहर
8	721/22	379 भादवि	कोतवाली देहात	बुलन्दशहर
9	1072/22	136, 137 विद्युत अधि0	खुर्जा नगर	बुलन्दशहर
10	1028/22	136, 137 विद्युत अधि0	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर
11	9895/22	136, 137 विद्युत अधि0	एन्टी पावर थैप्ट	बुलन्दशहर
12	9940/22	136, 137 विद्युत अधि0	एन्टी पावर थैप्ट	बुलन्दशहर
13	06/23	136 विद्युत अधि0	कपूरपुर	हापुड
14	06/23	136 विद्युत अधि0	जहॉगीराबाद	बुलन्दशहर
15	08/23	136 विद्युत अधि0	पहासु	बुलन्दशहर
16	12/23	136, 137 विद्युत अधि0	खानपुर	बुलन्दशहर
17	12/23	136/137 विद्युत अधि0	जहॉगीराबाद	बुलन्दशहर
18	16/23	136, 137 विद्युत अधि0	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर
19	17/23	136, 137 विद्युत अधि0	पहासु	बुलन्दशहर
20	18/23	136, 137 विद्युत अधि0	जहॉगीराबाद	बुलन्दशहर
21	41/23	136, 137 विद्युत अधि0	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर
22	92/23	136, 137 विद्युत अधि0	एन्टी पावर थैप्ट	बुलन्दशहर
23	128/23	136, 137 विद्युत अधि0	एन्टी पावर थैप्ट	बुलन्दशहर

24	147/23	174ए भादवि	कपुरपुर	हापुड
25	295/23	136, 137 विद्युत अधि0	एन्टी पावर थैप्ट	बुलन्दशहर
26	319/23	307/414 भादवि एवं 3/25 आर्म्स एक्ट	खानपुर	बुलन्दशहर

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम, उपरोक्त को थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर के मु0अ0सं0 316/22 धारा 136/137 विद्युत अधि0 एवं मु0अ0सं0 12/23 धारा 136/137 विद्युत अधि0 तथा मु0अ0सं0 319/23 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम के अभियोग में दाखिल किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————